

ACM गणेश उ. जयपुर

फर्द अहकाम

कादराम बनाम जयादी

नाम न्यायालय

केस संख्या 94/22 वृत्त

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>जी शी. ली रशीत क डेक शी. पेश कड़ी की है एक कानून मकान रिप माता है माता पेशी या पेश कड़ी करे पर 09/25 के तहत कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली दिनांक 8 ¹⁰/₂₄ को पेश हो</p> <p>सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
8 ¹⁰ / ₂₀₂₄		<p>पत्रावली प्रस्तुत क. फ. उप. पत्रावली पूर्वावधि दिनांक 15 ¹⁰/₂₄ को पेश हो</p> <p>सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
15 ¹⁰ / ₂₄		<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवसायी के लिये इपुटी पर पधारे हुए पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/10/24 पर हो</p>	
22 ¹⁰ / ₂₀₂₄		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील शर्मा उपस्थित। शर्मा अधिवक्ता के निवेदन किया कि वह शर्मा पर अस्थायी निषेधाज्ञा को लागू करना नहीं चाहते हैं अतः शर्मा पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रारम्भ नहीं किया जाये। वकील शर्मा शर्मा पर को अस्थायी निषेधाज्ञा लागू नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली को कोई अतिरिक्त नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुक्रा होकर परिवर्तन पत्रावली हो</p> <p>सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर</p>	

